केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/290 दिनांक: 12.07.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00287
CICOM/R/2016/00755

अपीलकर्ता : श्रीमती सुनीता पाण्डेय,
पत्नी – स्व0 अजीत कुमार पाण्डेय,
पूर्व का0रे0सु0 बल, पू0रे0 नं. 5922,
द्वारा – श्री शिवबचन पाण्डेय,
ग्राम व पो0 – दया छपरा,
जिला – बलिया – 277205, उत्तर प्रदेश

निर्णय की तारीख : 12.07.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.05.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	16.06.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री यू.सी.जोशी
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	151755/05.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	396/06.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पूर्व रेलवे में कार्यरत अपने पति स्व0 श्री अजित कुमार पाण्डेय के संदर्भ में Ex gratia lump sum compensation & Extra ordinary family pension के भुगतान में अनावश्यक, अनुचित तथा अत्यंत विलम्ब से भुगतान करने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके प्रतिउत्तर में श्री यू.सी.जोशी, तात्कालीन उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा सूचना प्रदान की गई कि "You have not sought any information and hence no action is required under RTI Act-2005".

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील में प्रदान की गई सूचना की प्रतिलिपि संलग्न की है, परन्तु उल्लेख नहीं किया है कि वे प्रदान की गई सूचना से व्यथित हैं या असंतुष्ट हैं । प्रथम अपील के माध्यम से भी अपीलकर्ता ने Ex gratia lump sum compensation & Extra ordinary family pension के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब करने पर क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थना-पत्र ही प्रस्तुत किया है । इस संदर्भ में उल्लेखनीय है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी का दायित्व केवल सूचना प्रदान करना है, किसी लोक प्राधिकरण के खिलाफ क्षति पूर्ति हेतु आवेदन पर कार्यवाही करना केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

3. यह समझते हुए कि अपीलकर्ता को स्थिति स्पष्ट हो गई होगी, अपील निस्तारित की जाती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अत: संलग्न 10 रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 34 एफ 517779 आपको वापस लौटाया जाता है ।

संलग्नक :- यथोपरि ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

9/C

प्रतिलिपि : 15/7/16

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
15 JUL 2016
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
16 JUL 2016
D. No.
Initials